न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा।

विविध वाद सं0–125/19–20

विनय कुमार बनाम अम्बिका यादव वगै0

आदेश की क्रम एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
10.03.2022	अंचल अधिकारी, कुन्दा के पत्रांक–84, दिनांक–13.03.2020 द्वारा विपक्षगण अम्बिका यादव वगै0 के पूर्वज सुंदरबसिया गोवालिन जौजे बालो महतो ग्राम–इचातु के नाम वर्तमान पंजी–II के पृष्ठ संख्या–17/1 पर कायम जमाबंदी मौजा–इचातु, खाता संख्या–15, अन्तर्गत रकवा–1.71 एकड़ मधे रकवा–0.99 एकड़ भूमि को निरस्त करने की अनुशंसा के साथ विविध वाद संख्या–09/2019–20 विनय कुमार बनाम अंबिका यादव वगै0 से संबंधित मूल अभिलेख प्राप्त है। तदनुसार यह वाद न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा में प्रारम्भ किया गया। उपरोक्त वाद की सुनवाई हेतु न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा द्वारा संबंधित पक्षों को मूल दस्तावेज के साथ उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। प्रथम पक्ष तथा द्वितीय पक्ष द्वारा अपने–अपने पक्ष में लिखित कथन समर्पित किया गया। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित अभिकथन में यह उल्लेखित किया है कि–उपरोक्त वाद अंचल अधिकारी, कुन्दा के द्वारा भेजे गए अनुशंसा पर सुनवाई हेतु चला आ रहा है। यह है कि विविध वाद–09/19–20 में दिनांक–31.01.2020 को अंचल अधिकारी, कुन्दा द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं है एवं नियम के तहत् आदेश पारित किया गया है। यह है कि अंचल अधिकारी द्वारा पारित आदेश के अवलोकन स्पष्ट है कि अंचल अधिकारी द्वारा दखल कब्जा एवं अन्य के आधार पर नियम के तहत् आदेश पारित किया गया है। यह भी उल्लेखित करना प्रासंगिक है कि प्रश्नगत भूमि खाता संख्या–15, प्लॉट संख्या–88 रकवा–87 डी0 प्लॉट संख्या–255, 257 एवं 271 रकवा–2.98 एकड़ भूमि मौजा–इचातु, थाना–कुन्दा चतरा आवेदक की दादी सूर्यबसिया गोवालिन का सादा हुकुमनामा के आधार पर वर्ष 1942 में बंदोबस्ती रैयती भूमि है। यह कि मंगर महतो ग्राम–इचातु के खेवट संख्या–2/2 के खेवटदार थे। मंगर महतो के मृत्यु के पश्चात् उनके पुत्र यदु महतो उत्तराधिकारी हुए। यदु महतो के मृत्यु	

के उपरांत उनकी पत्नी चन्द्री ग्वालिन उक्त सम्पति को मालिकाना हक प्राप्त हुआ। यह है कि आवेदक की दादी सुरजबसिया ग्वालिन पति–स्व0 रामचन्द्र महतो, ग्राम–इचातु थाना–प्रतापपुर अत कुन्दा, चतरा छोटे किसान थे। उन्होनों चन्दरी ग्वालिन को बंदोबस्ती हेतु अनुरोध किया। पूर्व जमीन्दार द्वारा सुरज बसिया गोवालिन का अनुरोध स्वीकार कर लिया गया सलामी राशि लेकर 14.07.1942 को हुकुमनामा आवेदक की दादी के नाम से निर्गत किया गया। आवेदक की दादी उक्त भूमि पर दखलकार होकर पूर्व जमीन्दार चन्दरी गोवालिन को लगान देकर जमीन्दारी लगान रसीद प्राप्त करते रहे है। जमीन्दारी उन्मूलन के पश्चात् बी0एल0आर0एक्ट 1950 लागु हुआ। सुरजबसिया गोवालिन का प्रतापपुर अंचल के माध्यम से डिमाण्ड खुला, लगान देकर सरकारी रसीद प्राप्त कर कई तरह के फसल उगाते रहे। यह भी उल्लेख करना है कि पूर्व जमीन्दार द्वारा क्षतिपूर्ति वाद संख्या–451/1961–62 बंदोबस्ती यह है कि सुरजबसिया गोवालिन अपने दो पुत्र रमेश यादव एवं सुरेश यादव को छोड़कर मृत हो गई। उसके बाद आवेदक के पिता एवं चाचा उत्तराधिकारी के रूप में उक्त भूमि पर खास दखलकार हुए। आवेदक के पूर्वज एवं परिवार 1942 से लगातार शांतिपूर्वक इस भूमि पर काबिज है। यह है कि सुरज बसिया ग्वालिन अपने बंदोबस्ती भूमि खाता संख्या–15, प्लॉट संख्या–88 रकवा–87 डी0 निबंधित केवाला 1591 दिनांक–04.09.1964 के द्वारा बेच दी। विपक्षी कभी भी इस भूमि पर दखलकार नहीं हुए है विपक्षी फर्जी दस्तावेज के आधार पर अपना दावा कर रहें हैं। यह है कि मौजा–इचातु, खाता संख्या–15, प्लॉट संख्या–255, 272 एवं 271 का विपक्षी द्वारा आवेदक की दादी के नाम से बंदोबस्ती जमीन बिना किसी सक्षम पदाधिकारी के आदेश के पंजी 2 में इन्द्राज होने के संदर्भ में आवेदक विनय कुमार द्वारा आवेदन अंचल कार्यालय में दिया गया। उक्त के आलोक में अंचल कार्यालय में विविध वाद संख्या–09/2019 संधारित किया गया। कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा स्थल जॉच के क्रम में आवेदक का जमाबंदी एवं दखल कब्जा पाया गया है। साथ ही विपक्षी का प्रश्नगत भूमि के संबंध में चल रहा जमाबंदी बिना किसी सक्षम पदाधिकारी के आदेश से है। अचंल अधिकारी, कुन्दा के द्वारा की गई अनुशंसा को स्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया गया है।

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित अभिकथन में यह उल्लेखित किया है कि यह कि उक्त वाद में द्वितीय पक्षगण की और से प्रश्नगत खाता सख्या–15, प्लॉट संख्या–257, 271 एवं 272 रकवा–0.99

डी0 जमीन के अतिरिक्त अन्य प्लॉट के बावत सिविल कोर्ट, चतरा में मुन्सिफ कोर्ट के न्यायालय में एक स्वत्व वाद सख्या–132/20 है, जो विद्वान न्यायालय मुन्सिफ के द्वारा प्रतिवादी विनय कुमार यादव वगैरह के नोटिस प्राप्ति के प्रश्चात् प्रतिवादीगण विनय कुमार वगैरह न्यायालय मे उपस्थित हुए है। यह कि विधि का सिद्धान्त है कि एक ही खाता प्लॉट के अंतर्गत जमीन का दो न्यायालय में सुनवाई नहीं किया जा सकता है। यह कि न्यायहित में जब तक मुन्सिफ न्यायालय, चतरा द्वारा स्वत्व वाद सख्या–132/20 में अंतिम फैसला पारित नही किया जा सकता है। यह कि न्यायहित में जब तक मुन्सिफ न्यायालय चतरा द्वारा स्वत्ववाद सख्या–132/20 में अंतिम फैसला पारित नहीं किया जाता है, तब तक विद्वान न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा के द्वारा सुनवाई को स्थागित करने का आदेश देना उचित प्रतीत होता है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि विविध वाद संख्या–125/19–20 में सुनवाई का स्थागित करने का आदेश देने का दया दर्शावें।

पुनः द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित अभिकथन में यह उल्लेखित किया है कि "यह कि वाद विपक्षीगण की और से प्रश्नगत खाता प्लॉट से संबधित आवेदक के विरूद्ध सिविल कोर्ट, चतरा मुसिफ न्यायालय, चतरा में एक दीवानी मुकदमा दायर किया है जिसका टाईटल सूट नं0–132/20 अम्बिका यादव वगैरह बनाम् सुरेश यादव वगैरह के विरूद्ध दायर किया गया है जो नोटिस निर्गत के पश्चात् आवेदकगण सुरेश यादव वगैरह मुंसिफ न्यायालय चतरा में उपस्थित हुए हैं। यह कि विधि का सिद्धांत है कि एक ही जमीन का विचारण दो न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है। यह कि प्रश्नगत भूमि के बावत मामला सिविल कोर्ट चतरा में चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में आवेदकगण द्वारा विद्वान न्यायालय में दाखिल अपील कानूनन पोषणीय नही हैं।"

अचंल अधिकारी, कुन्दा द्वारा अपने आदेश पत्रक में उल्लेखित किया है कि–"प्रश्नगत भूमि के प्लॉट संख्या–255 का मामला न्यायालय अनुमण्डल पदाधिकारी चतरा में वाद संख्या–69/2019 जारी होने के बिंदु पर संज्ञान लेते हुए शिकायतकर्ता श्री विनय कुमार को वाद में उल्लेखित खाता संख्या–15 के प्लॉट संख्या–255 को छोड़कर शेष भूमि पर सुनवाई हेतु अपील करने को कहा गया। अपीलार्थी श्री विनय कुमार पिता–सुरेश यादव, ग्राम–इचातु, थाना–कुन्दा द्वारा आवेदन अंचल अधिकारी, कुन्दा के मौजा–इचातु, थाना संख्या–293, अंतर्गत खाता संख्या–15, प्लॉट

संख्या–272, 257 एवं 271 रकवा क्रमशः–0.18 ए0, 0.12 ए0 एवं 0.69 ए0 कुल रकवा–0.99 ए0 भूमि का राजस्व रसीद अवैध तरीके से सुन्दर बसिया गोवालिन के नाम निर्गत होने पर दोहरा जमाबंदी का मामला बताते हुए जमाबंदी निरस्त करने की मॉग की है और सूचित किऐ है कि उक्त भूमि का जमाबंदी 1953–54 से अब तक सुरज बसिया गोवालिन जोजे रामचन्द्र महतो गाम–इचातु के नाम कायम है, तथा सरकार को उक्त भूमि का मालगुजारी अदाय करते रहे हैं। प्रविष्टी के पश्चात् विपक्षीगण श्री अम्बिका यादव, बजरंगी यादव, मनोहर यादव, द्वारिका यादव, अर्जुन यादव सभी के पिता स्व0 बालो यादव, इंद्रदेव यादव, पिता–बजरंगी यादव सुर्यदेव यादव, पिता–अम्बिका यादव, सुबोद यादव पिता–अम्बिका यादव सभी साकिन मौजा–इचातु को भू–विवाद मौजा इचातु अंर्गत खाता संख्या–15 के प्लॉट संख्या–272, 257, एवं 271 कुल रकवा 0.99 एकड़ के संबंध मूल भू–कागजात दिखलाने तथा इसकी प्रति कार्यालय को उपलब्ध कराने साथ ही लिखित बयान देने हेतू नोटिस निर्गत किया गया। निर्धारित समय पर उभय पक्षकार उपस्थित हुए तथा भू–कागजात की प्रति के साथ अपना–अपना बयान दर्ज करवाये, जो अभिलेखबद्ध है। अपीलार्थी का कथन तथा अभिलेख को अंकित कियाा गया, जो इस प्रकार है– क्रमिक खतियान में खेवट सख्या–2/2 मध्यवर्ती भू–स्वामी मंगर महतो ग्राम–इचातु थाना नं0–239 है। जिसमें अभिधारी में बकास्त लगान पाने वाला का नाम खाता संख्या–15 अंतर्गत प्लॉट संख्या–272, 257 एवं 271 सहित कुल 24 प्लॉट में रकवा–11.79 एकड़ भूमि दर्ज है। खेवटदार मंगर महतो के आश्रित पतोहू मसो0 चंद्री गोवालिन जोजे जदु महतो मौजा–इचातु द्वारा खेवट सख्या–02/02 थाना नं0–239 अंतर्गत निम्नवत भूमि बजाब्ते हुकुमनामा जिसपर 1 रू0 का Revenue टिकट लगा है। सन् ई0 14.02.1942 को बंदोबस्त की गई तथा मालिकाना हक दिया गया है जो इस प्रकार है:–

खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकवा (एकड़ में।)
15	88	0.87
	255	1.12
	272	0.18
	257	0.12
	271	0.69
21	251	0.29
कुलः–		3.27 एकड़।

उक्त भू–बंदोबस्ती के अनुसार सुरज बसिया गोवालिन (अपीलार्थी की

दादी) द्वारा भूतपूर्व जमीन्दार को लगान भुगतान कर जमीन्दारी मालगुजारी रसीद प्राप्त करते रहे तथा जमीन्दारी उन्मूलन के पश्चात् वर्ष 1956–54 से लगातार 2015–16 तक सरकार को उक्त भूमि की मालगुजारी अदाय करते रहे हैं। साक्ष्य के रूप में अपीलार्थी ने निम्नलिखित राजस्व रसीद की प्रति संलग्न किये हैं। जो इस प्रकार है, तथा अभिलेख में संरक्षित है। खेवटदार मालिक मंगर महतो को पतोहू चंद्री गोवालिन को दिया गया मालगुजारी रसीद विक्रम संवत 2000, 2003, 2006 अर्थात् ई0 सन् 1942, 1946, 1949 का रसीद की छायाप्रति। जमीन्दारी उन्मूलन के पश्चात् राज्य सरकार को अदाय की गई मालगुजारी रसीद विक्रम संवत–2011–12 अर्थात ई0 सन् 1953–54 का रसीद सख्या–136018 की प्रति, ई0 1954–55, 1955–56, 1956–57 का रसीद सख्या–100067, 1959–60 का रसीद सख्या–449218, 1962–63 का रसीद सख्या–670917, 1963–64 का रसीद संख्या–471815, 1964–65 का रसीद संख्या–369101, 1965–66 का रसीद संख्या–627532, 1966–67, 1967–68, 1969–70 का रसीद संख्या–483821, 11970–71 का रसीद संख्या–654561, 1974–75 का रसीद संख्या–607085, 1975–76 का रसीद संख्या–384338, 1976–77 से 1983–84 तक का रसीद संख्या–092066, 1987–88 का रसीद संख्या–352188, 1990–91 का रसीद संख्या–140598, 1991–92 का रसीद संख्या–159043, 1992–93 से 1993–94 का रसीद संख्या–257627, 1994–95 से 1995–96 का रसीद संख्या–791175, 1996–97 का रसीद संख्या–261957, 1997–98 से 1999–2000 तक का रसीद संख्या–444288, 2000–01 से 2001–02 का रसीद संख्या–7401353, 2002–03 से 2003–04 तक का रसीद संख्या–3216307, 2004–05 का रसीद संख्या–3217162, 2005–06 से 2006–07 तक का रसीद संख्या–3218374, 2007–08 एवं 2008–09 का रसीद संख्या–3216994, 2009–10 का रसीद संख्या–3217301, 2013–14 से 2015–16 तक रसीद संख्या–010317 की छायाप्रति अभिलेखबद्ध है। खेवटदार के वंशज सुंदर बसिया गोवलिन पति–बालो महाते, ग्राम–इचातु द्वारा दाखिल क्षतिपूमि अभिलेख संख्या–451/61–62 जो खेवट संख्या–02/02, थाना नं0–239 है, जो क्र0 सं0–03 में सुरज बसिया गोवालिन को रैयत दिखाते हुए जमाबंदी रिटर्न जमा की है। जिसमें सुरज बसिया के नाम खाता संख्या–15 अंतर्गत कुल 2.98 एकड़ का लगान जमा किये जाने का उल्लेख संलग्न है। उक्त भूमि पर बंदोबस्ती ई0 1942 से लेकर 2018 तक जोत–आबाद कर शांतिपूर्वक खेती करते आ रहे हैं। परंतु

वर्ष 2019 के माह नवम्बर–दिसम्बर में विपक्षीगण द्वारा जबरदस्ती ट्रेक्टर तथा हल से खेत को जोतकर सरसो और मसुरी लगाया है। इस आलोक में खाता संख्या–15 के प्लॉट संख्या 255 पर न्यायालय अनुमण्डल पदाधिकारी, चतरा के समक्ष 144 लगाया गया है तथा जो परिवर्तन होकर धारा 145 वाद सख्या–69/2019 जारी है। विपक्षीगण ने राजस्व कर्मचारी से मिलकर अवैध तरीके से उल्लेखित खाता संख्या–15, अंतर्गत प्लॉट–272, 257 एवं 271 रकवा–0.99 एकड़ भूमि का जमाबंदी राजस्व रसीद 2005–06 में निर्गत कराया है, जिसे रद्द किया जाय। विपक्षीगण भू–विवाद भूमि खाता 15 के खेवटदार मंगर महतो के वंशज है तथा भूमि बकास्त खाते की है (वंशावली प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया)। खेवटदार के आश्रित चंद्री गोवालिन ने अपनी पुत्री सुंदर बसिया गोवलिन के नाम वर्ष 1953 ई0 में खेवट संख्या–2/2 ग्राम–इचातु का पांच चार पाई हिब्बानामा निबंधित किया है। खेवटदार/जमीन्दार मंगर महतो के द्वारा प्रश्नगत भूमि का न तो बिक्री पट्टा व दान किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं किया गया है। राजस्व रसीद संख्या–3218280, वर्ष 2005'06 रसीद संख्या–3871027, वर्ष 2011712, रसीद संख्या–009957, वर्ष 2014–15 की प्रति देते हुए जिसमें जमाबंदी रैयत सुन्दर बसिया के नाम रकवा–1.71 एकड़ दर्ज है। प्रश्नगत भूमि पर शुरू से जोत–आबाद किये जाने का उल्लेख करते है तथा अपीलार्थी के पूर्वज सुरज बसिया गलत तरीके से राजस्व रसीद निर्गत कराने का आरोप लगाये हैं। प्रश्नगत भू–विवाद मौजा–इचातु अंतर्गत खाता संख–15 के प्लॉट संख्या–172, 257 एवं 271 कुल रकवा 0.99 एकड़ के संबंध में संबंधित हल्का राजस्व उपनिरीक्षक–सह–प्र0अं0नि कुन्दा ने प्रतिवेदित किया है कि क्रमिका खतियान के अनुसार खेवट सख्या–2/2 मध्यवर्ती भू–स्वामी मंगर महतो थाना नं0–239, ग्राम–इचातु अभिधारी में बकास्त लगान पाने वाला खाता संख्या–15 के अंतर्गत प्लॉट संख्या–271, 3272 एवं 257 सहित अन्य प्लॉट में कुल रकवा–11.79 एकड़ भूमि दर्ज है। प्रश्नगत भूमि पर पूछताक्ष के क्रम में पूर्व से सुरेश यादव द्वारा खेती किया जाता था। वर्तमान में विवादित भूमि पर अर्जुन यादव का मसुरी और सरसो लगा हुआ पाया। पुरानी एवं नई राजस्व रजिस्टर–2 के अवलोकनोपरानत वर्ष 1953–54 से 2015–16 तक लगातार जमाबंदी रैयत सुरज बसिया गोवालिन के नाम प्रश्नगत भूमि का राजस्व वसुल किया गया है। वर्तमान पंजी–2 के पृष्ठ सख्या–17/1 पर सुंदर बसिया गोवालिन पति बालो महतो के नाम खाता संख्या–15 रकवा–1.71 एकड़ भूमि का जमाबंदी कायम है। परंतु प्राधिकार

कॉलम में उक्त रैयत के नाम जमाबंदी कायम होने का आधार दर्ज नहीं है। अभिलेख में प्रस्तुत साक्ष्य एवं उभय पक्षकारों का अभिकथन सहित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत जॉच प्रतिवेदन का अवलोकन किये एवं उभय पक्षकारों के बातों को सुनने से अपीलार्थी का अभिकथन संपुष्ट होता है। प्रश्नगत भूमि पर अद्योहस्ताक्षरी दिनांक–27.01.2020 की स्वयं जाकर जॉच किये और उपस्थित ग्रामीणों महावीर यादव व मुकेश यादव एवं अन्य महिला से पुछताथ करने पर ज्ञात हुआ कि शुरू से पिछले 03 तीन वर्ष तक भूमि श्री सुरेश यादव (अपीलार्थी का पिता) का दखल कब्जा रहा है, पिछले 02 दो वर्ष से खेत परीत रहा है। तथा इस वर्ष भूमि पर अर्जुन यादव ने फसल लगाया है। वर्तमान में उक्त भूमि पर अर्जुन यादव के द्वारा लगाए गए फसल (सरसों और मसूरी) देखने से ऐसा लगता है कि प्रश्नगत भू–विवाद पर अपना दखल दिलखाने हेतु श्री अर्जुन यादव द्वारा खेती की गई है। अपीलार्थी द्वारा उपलब्ध दस्तावेज की जॉच कार्यालय में उपलब्ध पुरानी व नई राजस्व पंजी 2 से की गई, जो सही है। वादी विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व रसीद के अनुसार सुंदर बसिया गोवालिन के नाम कायम जमाबंदी के प्राधिकार कॉलम में वगैर सक्षम पदाधिकारी के आदेश के जमाबंदी खोला गया, जो अवैध प्रतीत होता है। उक्त परिपेक्ष्य में अपीलार्थी का दावा जायज है तथा विपक्षीगण के पूर्वज सुंदर बसिया गोवालिन जोजे बालो महतो ग्राम–इचातु के नाम खाता संख्या–15 अंतर्गत रकवा–1.71 मधे रकवा–0.99 एकड़ भूमि का कायम जमाबंदी को निरस्त करने की अनुशंसा की जाती है।

अभिलेख में संलग्न राजस्व कर्मचारी का प्रतिवेदन में अंकित किया गया है कि–क्रमिक खतियान के अनुसार खेवट संख्या–2/2 मध्यवर्ती मंगर महतो थाना नं0–239 अभिछाटी में बकास्त लगान पाने वाला ग्राम–इचातु के खाता संख्या–15 के अंतर्गत प्लॉट संख्या–271, 272 एवं 257 कुल 24 प्लॉट में रकवा–11.79 एकड़ भूमि दर्ज है। विवादित भूमि खाता संख्या–15 के प्लॉट संख्या–271 में रकवा–0.69 ए0, 272 में रकवा–0.18 ए0 व 257 में रकवा–0.12 ए0 कुल रकवा–0.99 ए0 है। पुछ ताक्ष से पता हुआ कि इस भूमि पर सुरेश यादव द्वारा खेती किया जाता था। विवादित स्थल पर जाकर भूमि का विवरणी में पाया कि खाता संख्या–15 प्लॉट संख्या–271 रकवा–0.69 ए0 वर्तमान में जिसकी चौहदी उ0–प्लॉट संख्या–270, दा0–प्लॉट संख्या–272, पू0–कमलदेव यादव व भोला यादव का खेत, द0–रामवली यादव का खेत प्लॉट सख्या 272 रकवा–0.18 ए0 का चौहदी उ0–प्लॉट

सख्या–271, द0–ललम यादव का खेता, पू0–प्लॉट सख्या–271, प0–रामवली यादव का खेत। प्लॉट संख्या 257 रकवा–0.12 ए0 जिसका चौहदी उ0–255, द0–महावीद यादव का खेत, प0–जानदेव यादव, प0–प्लॉट सख्या–256 वर्तमान में विवादित भूमि प्लॉट सख्या 271 में कुछ अंश में मसुरी लगा हुआ है, पुछ ताथ के क्रम में इसवार मसुरी अर्जुन यादव हाटा लगया गया है। प्लॉट संख्या–272 में वर्तमान में मसुरी लगा हुआ है पुछ ताछ के क्रम में अर्जुन यादव द्वार मसुरी गया गया है। प्लॉट संख्या 257 में पुछ ताछ के क्रम में अर्जुन यादव द्वार लोटनी लगया गया है। नया पुराना रजिस्टर 2 अवलोकन उपरांत पाया कि 1953–54 से खाता संख्या–15 प्लॉट संख्या–255, 272, 271, 257 रकवा–3.27 ए0 का राजस्व लगातार 2015–16 तक सरकार को राजस्व जमाबंदी रैयत सुरज वसिया गवालीन जौजे रामचन्द्र महतो द्वारा दिया गया है। पंजी 2 वर्तमान के पृ0स0 17/1 पर सुन्दर वसिया गवालन पति वालो महतो के पाम खाता संख्या 15 रकवा–1.71 ए0 भूमि का राजस्व सरकार दिया गया है परन्तु प्राधिकार कॉलम में उक्त रैयत का नाम जमाबंदी कायम होने का आधार दर्ज नहीं है।

उपरोक्त दोनो पक्षों द्वारा समर्पित लिखित कथन, अचंल अधिकारी, कुन्दा द्वारा पारित आदेश, राजस्व उपनिरीक्षक का प्रतिवेदन तथा निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं अभिलेख में संलग्न अन्य कागजातों के अवलोकन से निम्नांकित बिन्दु परिलक्षित होते है:–

1. **बकास्त भूमि का मामला** :– अंचल अधिकारी, कुन्दा से प्राप्त निम्न न्यायालय अभिलेख में संलग्न राजस्व कर्मचारी का प्रतिवेदन में उल्लेखित किया गया है कि –" खतियान के अनुसार खेवट संख्या–2/2 मध्यवर्ती मंगर महतो थाना नं0–239 अभिधारी में **बकास्त लगान पाने वाला** ग्राम–इचातु के खाता संख्या–15 के अंतर्गत प्लॉट संख्या–271, 272 एवं 257 कुल 24 प्लॉट में रकवा–11.79 एकड़ भूमि दर्ज है।"

2. **प्रथम पक्ष के पक्ष में जमाबंदी कायम** :– अंचल अधिकारी, कुन्दा से प्राप्त निम्न न्यायालय अभिलेख में संलग्न राजस्व कर्मचारी का प्रतिवेदन में उल्लेखित किया गया है कि –"नया/पुराना रजिस्टर II अवलोकन उपरान्त पाया कि 1953–54 से खाता संख्या–15, प्लॉट संख्या–255, 272, 271, 257 रकवा–3.27 एकड़ का राजस्व लगातार 2015–16 तक सरकार को राजस्व जमाबंदी रैयत सुरजवसिया ग्वालीन जौजे रामचन्दर महतो द्वारा दिया गया है।" अर्थात् जमाबंदी कायम है।

3. द्वितीय **पक्ष** के **पक्ष** में **जमाबंदी कायम** :– अंचल अधिकारी, कुन्दा से प्राप्त निम्न न्यायालय अभिलेख में संलग्न राजस्व कर्मचारी का प्रतिवेदन में उल्लेखित किया गया है कि –"पंजी– II के पृ0स0 17/1 पर सुन्दरवसिया ग्वालीन पति–वालो महतो के नाम खाता संख्या–15, रकवा–1.71 एकड़ भूमि का राजस्व सरकार दिया गया है परन्तु प्राधिकार कॉलम में उक्त रैयत के नाम जमाबंदी कायम होने का आधार दर्ज नहीं है।"

4. मुनसिफ **कोर्ट, चतरा में विचाराधीन मामला** :– द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने अपने लिखित कथन में उल्लेखित किया है कि– "विपक्षीगण की ओर से प्रश्नगत खाता प्लॉट से संबंधित आवेदक के विरूद्ध सिविल कोर्ट, चतरा मुंसिफ न्यायालय, चतरा में एक दीवानी मुकदमा दायर किया है जिसका टाईटल सूट नं0–132/20 अम्बिका यादव वगैरह बनाम् सुरेश यादव वगैरह के विरूद्ध दायर किया गया है।"

उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के आधार पर प्रश्नगत भूमि के मामले में रैयती, दोहरी जमाबंदी, Long term जमाबंदी, स्वत्व आदि का मामला परिलक्षित होता है। साथ हीं साथ संबंधित मामला सिविल कोर्ट, चतरा मुंसिफ न्यायालय, चतरा में भी विचाराधीन है। अतः इस न्यायालय से संबंधित मामले में कोई आदेश पारित करना उचित प्रतीत नहीं होता है। वाद की प्रकिया समाप्त की जाती है।

अंचल अधिकारी, कुन्दा को संबंधित मूल अभिलेख एवं आदेश की प्रति भेंजे।

(लेखापित एवं संशोधित)

10/3/2022

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चतरा।

10/03/2022

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चतरा।

Digitally signed by GOURANG MAHATO
Date: 2022.12.26 21:47:39 -08:00
Location: 2409:4064:229a:40cc:4813:47ca:9b65:19dc